न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2011/00258 (28/2011) 75 एलआरएक्ट

1. नन्दराम पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. मु0 मीरां पुत्री स्व0 श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑु राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी
3. औमप्रकाश पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी सलेमगढ निवासी मसानी तहसील टिब्बी।
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.02.2011 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी मु. नं. 52/2009 बअनवानी मु0 मीरां बनाम नन्दराम

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2
श्री सोहनलाल सहारण रेस्पोडेण्ट सं0 3

निर्णय दिनांक –14.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) सी.सी. अधिनियम में प्रस्तुत करते हुए अपनी भूमि में आवागमन के लिए अपीलाण्ट की भूमि प. नं. 14 जीजीआर के प. नं. 187/297 के किला नं. 6 ता 8 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम मे एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत रास्ता न तो कभी चालू रहा है न ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी ने फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थी अन्य रास्ते से आवागमन करता है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रश्नगत रेस्पोडेण्ट द्वारा वांछित रास्ता स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से अथवा कमिश्नर नियुक्त कर मौका की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कतई गलत, विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत, अनुचित और मनमाना हे। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पूर्व में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि थी। कानूनन स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं था तथा खाता विभाजन के समय यदि रास्ता की आवश्यकता होती या पत्थर लाईन 185 पर स्वीकृत रास्ता से होकर रेस्पोडेण्ट सं0 1 आवागमन होता तो निश्चित रूप से यह खाता विभाजन इस प्रकार किया जाता कि दोनों ही सह खातेदार पत्थर लाईन 185 पर स्वीकृत रास्ता से जुड़ते। रेस्पोडेण्ट खाता विभाजन से पूर्व घरू बंटवारा में प्राप्त अपनी भूमि पर पत्थर लाईन 183 के उत्तर से दक्षिण स्वीकृत रास्ता से पत्थर नं. 184/297 (72) के किला नं. 1 व 2 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व होते हुए आवागमन करती आ रही थी। इस कारण ना तो प्रश्नगत रास्ता चलू था न ही इसकी आवश्यकता थी। यदि वास्तव में यह रास्ता विद्यमान होता तो निश्चित रूप से खाता विभाजन के समय इस रास्ता की सुविधा को दृष्टिगत रख खाता विभाजन किया जाता। रेस्पोडेण्ट नये सिरे से रास्ता मांगने की अधिकारी नहीं है। रास्ता स्वीकृति समय कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। पत्रावली अभियान के दौरान मौका पर रखी गई व ना ही अपीलाण्ट का मौका पर उपस्थित आने हेतु नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट की मौरूसी खातेदारी भूमि में शर्त संख्या 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 की कृषि भूमि के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है कतई अनुचित एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 518, आरआरडी 1986 पेज 64, आरआरडी 1996 पेज 239, सीसीसी 2011 पेज 723 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया।
5. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 क विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया रेस्पोडेण्ट के पास अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृत शुदा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है। रेस्पोडेण्ट ने उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश करवाये हैं और जिस रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता है वह अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है अपीलाण्ट इस रास्ते को बार बार बंद कर देता है। अपीलाण्ट ने यह अपील रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए की है। रेस्पोडेण्ट रास्ते के अभाव में अपनी भूमि में आने जाने से वंचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो जायेगा। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट की चक 14 जीजीआर के किला नं. 6 ता 8 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। सहायक कलैक्टर एवं उपखड अधिकारी टिब्बी ने राजस्व अभियान प्रशासन गांव के संग 2010 में उभयपक्षों को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। निर्णय में यह अंकित है कि राजस्व अभियान प्रशासन गांव के संग 2010 के दौरान उक्त विवादित रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया था प्रार्थीया का उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा बताया गया रास्ता चालू नहीं है ना ही कभी चालू रहने के निशान मौका पर थे। प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए सबसे छोटा व सुविधा जनक रास्ता प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता है।'' इस प्रकार अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते में आई भूमि के बदले में अपीलाण्ट का भूमि दी गई है जिससे अपीलाण्ट को किसी प्रकार का नुकसान नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज जाती है एवं सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: